

प्रेषक,

मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 26 मई, 2023


विषय:-15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 हेतु Million Plus शहरों के लिये संस्तुत मद की धनराशि रू0 746.00 करोड अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-61/2023/928/001-47ज/13, दिनांक-25.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त शासनादेश के प्रस्तर-05 में कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-19-X-2023-24, दिनांक-25 मई, 2023 के स्थान पर संख्या E-9-20-X-2023-24, दिनांक-26 मई, 2023 पढा जाए। उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त आदेश दिनांक-25.05.2023 की शेष नियम व शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,


  
(मो0 वासिफ)  
अनु सचिव।

संख्या- /नौ-9-2023-47ज/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच)/ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक (एफसीडी), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश शासन।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

  
(मो0 वासिफ)  
अनु सचिव।

प्रेषक,  
मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2023

विषय:- 15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 हेतु Million Plus शहरों के लिये संस्तुत मद की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के पत्र सं0-एफ0सी0सी0ए0-89/दस-2023-02/2020, दिनांक-22.05.2023 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-15(45)FC-XV/FCD/ 2020-25 दिनांक-19.05.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों के लिये 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 हेतु Million Plus शहरों के लिये Solid Waste Management/ Sanitation मद की प्राप्त धनराशि ₹0 746.00 करोड (₹0 सात सौ छियालीस करोड मात्र) 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को आवंटित करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों/नीतियों को अक्षरशः पालन करते हुये, भारत सरकार के पत्र दिनांक-19.05.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्धारित मानक के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को बिना किसी कटौती के निर्धारित समयान्तर्गत (10 कार्य दिवस के अन्दर) उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त अनुदान का उपभोग स्थानीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा।

(3) 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त उक्त धनराशि का उपभोग वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-एफ.15(2) एफसी- XV/एफसीडी/2020-25, दिनांक-28.07.2021 द्वारा निर्गत Operational Guidelines के प्राविधानों एवं 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2021-2026 के लिये रिपोर्ट के अध्याय-7 (Chapter-7) की संस्तुतियों में उल्लिखित विषय पर ही की जायेगी।

(4) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर-7.132 में मिलियन प्लस सिटी के अतिरिक्त अन्य सिटी हेतु धनराशि के वितरण की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अनुसार धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

(i) कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) के मध्य पारस्परिक आवंटन (Inter-Se Distribution) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कैण्टोनमेन्ट बोर्ड की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

(ii) 15 वें वित्त आयोग की धनराशि का निकायों के बीच आवंटन राज्य वित्त आयोग की अद्यतन संस्तुति के आधार पर की जायेगी, जिसमें कैण्टोनमेन्ट बोर्ड को भी सम्मिलित किया गया हो। राज्य

वित्त आयोग की किसी विशेष श्रेणी के लिए आवंटन हेतु संस्तुति उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं क्षेत्र अनुपात 90: 10 में की जायेगी।

(iii) उक्त धनराशि कोषागार द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से नागर स्थानीय निकायों एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को स्थानान्तरित की जायेगी।

(5) In the case of Urban Agglomerations which contain more than one Million-Plus city Director, Urban Local Body in consultation with all such entities within the urban agglomerations shall entrust one urban local body as a nodal entity to receive the grants. This nodal entity shall also have the responsibility of achieving the performance indicator for the entire agglomeration.

(6) FC-XV recommended Solid Waste Management grant component Million-Plus Cities Challenge Fund for Million Plus Cities/UAs is intended to be utilized for improving drinking water quality & supply (including rainwater harvesting and recycling), sanitation and achieving star ratings by the urban local bodies in Solid Waste Management in consonance with the approved City Action Plan (CAP) and commitments made in the tripartite Memorandum of understanding (MoU) signed on the subject.

(7) Urban Local Bodies (recipient) shall have to ensure that a separate Account of each such recipient/ULB has been opened for FC-XV recommended water Supply, Sanitation & SWM grant in any Scheduled Commercial Bank and the same is linked with PFMS and maintained for every transaction for full award period.

(8) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या व दिनांक सहित वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) टेण्डर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यों हेतु की जायेगी।

(10) इस अनुदान के लेखों का रख-रखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(11) 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत किये जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होंगे। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।

(12) उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगमों के संबंध में नगर आयुक्त, एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ, महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त तथा कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाये। दिशा निर्देशों से हट कर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। इसके लिये संबंधित नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय  
लेखाशीर्ष: 2217808000401 (आगरा)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
7 037	2217808000401 आगरा	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	94,00,00,000 (रुपये चौरानवे करोड़ मात्र)
कुल			94,00,00,000 (रुपये चौरानवे करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000402 (प्रयागराज)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
7 037	2217808000402 प्रयागराज	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	64,00,00,000 (रुपये चौसठ करोड़ मात्र)
कुल			64,00,00,000 (रुपये चौसठ करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000403 (गाजियाबाद)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
7 037	2217808000403 गाजियाबाद	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,26,00,00,000 (रुपये एक अरब छब्बीस करोड़ मात्र)
कुल			1,26,00,00,000 (रुपये एक अरब छब्बीस करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000404 (कानपुर)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
7 037	2217808000404 कानपुर	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,56,00,00,000 (रुपये एक अरब छप्पन करोड़ मात्र)
कुल			1,56,00,00,000 (रुपये एक अरब छप्पन करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000405 (लखनऊ)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2217808000405 लखनऊ	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,54,00,00,000 ( रुपये एक अरब चौवन करोड़ मात्र )
कुल			1,54,00,00,000 ( रुपये एक अरब चौवन करोड़ मात्र )

**लेखाशीर्ष: 2217808000406 (मेरठ)**

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2217808000406 मेरठ	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	76,00,00,000 ( रुपये छिहत्तर करोड़ मात्र )
कुल			76,00,00,000 ( रुपये छिहत्तर करोड़ मात्र )

**लेखाशीर्ष: 2217808000407 (वाराणसी)**


अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2217808000407 वाराणसी	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	76,00,00,000 ( रुपये छिहत्तर करोड़ मात्र )
कुल			76,00,00,000 ( रुपये छिहत्तर करोड़ मात्र )

महायोग	7,46,00,00,000 ( रुपये सात अरब छियालीस करोड़ मात्र )
--------	---

के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-19-X-2023-24, दिनांक-25 मई, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक-यथोक्त।**


भवदीय,  
  
(मो0 वासिफ)  
अनु सचिव।

संख्या-61/2023/928/001-47J-13, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच)/ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक (एफसीडी), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश शासन।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

  
(मो० वासिफ)  
अनु-सचिव।

Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees) ▾

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-47J-13  
 यू० ओ० संख्या: A009-20232024-001-47J-13  
 अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग  
 लेखाशीर्षक: 2217808000401 - आगरा

स्वीकृति तिथि: 25/05/2023

आयोजनेतर-मतदेय  
 (धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	14,900.00	0.00	9,400.00	9,400.00
योग :	14,900.00	0.00	9,400.00	9,400.00

(कल्याण बनर्जी)  
 संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-47J-13  
 यू० ओ० संख्या: A009-20232024-001-47J-13  
 अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग  
 लेखाशीर्षक: 2217808000402 - प्रयागराज

स्वीकृति तिथि: 25/05/2023

आयोजनेतर-मतदेय  
 (धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	10,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00
योग :	10,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00

(कल्याण बनर्जी)  
 संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-47J-13  
 यू० ओ० संख्या: A009-20232024-001-47J-13  
 अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग  
 लेखाशीर्षक: 2217808000403 - गाजियाबाद

स्वीकृति तिथि: 25/05/2023

आयोजनेतर-मतदेय  
 (धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	20,100.00	0.00	12,600.00	12,600.00
योग :	20,100.00	0.00	12,600.00	12,600.00

(कल्याण बनर्जी)  
 संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-47J-13  
 यू० ओ० संख्या: A009-20232024-001-47J-13  
 अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग  
 लेखाशीर्षक: 2217808000404 - कानपुर

स्वीकृति तिथि: 25/05/2023

आयोजनेतर-मतदेय  
 (धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	24,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00
योग :	24,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00

(कल्याण बनर्जी)  
 संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-47J-13  
यू० ओ० संख्या: A009-20232024-001-47J-13  
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग  
लेखाशीर्षक: 2217808000405 - लखनऊ

स्वीकृति तिथि: 25/05/2023

आयोजनेत्तर-मतदेय  
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	24,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00
योग :	24,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-47J-13  
यू० ओ० संख्या: A009-20232024-001-47J-13  
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग  
लेखाशीर्षक: 2217808000406 - मेरठ

स्वीकृति तिथि: 25/05/2023

आयोजनेत्तर-मतदेय  
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	12,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00
योग :	12,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-47J-13  
यू० ओ० संख्या: A009-20232024-001-47J-13  
अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग  
लेखाशीर्षक: 2217808000407 - वाराणसी

स्वीकृति तिथि: 25/05/2023

आयोजनेत्तर-मतदेय  
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	12,100.00	0.00	7,600.00	7,600.00
योग :	12,100.00	0.00	7,600.00	7,600.00

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव